संख्या-3/2020-185/58-2020-135/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 05 फरवरी, 2020**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद अयोध्या में स्थापित लोहिया पर्यावरणीय पार्क के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-90/बजट/2019-20, दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में स्थापित लोहिया पर्यावरणीय पार्क के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि रू0 38.17 लाख(रू0 अड़तीस लाख सत्रह हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**जनपद संतकबीर नगर हेतु शासन में विचाराधीन**	**अवमुक्त हेतु अवशेष**	**जनपद अयोध्या हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112- सार्वजनिक उद्यान- 04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क					
02-मजदूरी	50.00	37.54	--	12.46	8.83
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.30	0.20	--	--
42- अन्य व्यय	45.00	13.96	5.24	25.8	19.86
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00	18.90	1.37	14.73	9.48
योग-	**130.50**	**70.70**	**6.81**	**52.99**	**38.17**

उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) निदेशालय/सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि एक ही मद के लिए दोहरी धनराशि स्वीकृत न हो जाय।

(3) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(8) धनराशि व्यय करने से पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2020-185(1)/58-2020, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, अयोध्या।
(5) उप निदेशक उद्यान, अयोध्या, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
(6) जिला उद्यान अधिकारी, अयोध्या।
(7) कोषाधिकारी, अयोध्या।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in